

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव (आर.ए.एस.)

∴ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2022 ∴

उन्वान योगिता बनाम सुमित्रा

1. योगिता विश्नोई पत्नी अंकुर विश्नोई जाति विश्नोई निवासी ग्राम गुरु जम्वेश्वर जयपुर राजस्थान। -- वादी

बनाम

1. सुमित्रा पत्नी महावीर सिंह जाति राजण राजपूत निवासी जगदम्बानगर जयपुर राज.।
2. रामस्वरूप पुत्र छीतर जाति भील निवासी ग्राम कचनारिया तहसील दूदू जिला जयपुर राज.।
3. तहसीलदार अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.।

—प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत

निर्णय दिनांक 20.06.2022

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री रामनिवास बैरवा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 36/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की जरिये नोटिस तलबी की गई। 10.06.2022 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। दिनांक 10.06.2022 को वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 03 उपस्थित हुये तथा पत्थरगढी के सहमति में 50/- रु के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर लिखित में अपनी सहमति व्यक्त की। अप्रार्थी संख्या 02 के गैर खातेदार होने तथा नाऔलाद फौत होने की सूचना तामिल कुनिन्दा के मार्फत होने पर वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 वास्ते अप्रार्थी संख्या 02 का नाम तर्क किये जाने बाबत पेश किया जिसे वकील वादी की बहस के आधार पर स्वीकार किया गया तथा न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 02 का नाम दिनांक 17.06.2022 को तर्क कर दिया गया।



प्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीया की एकल खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम भावसा पटवार हल्का भामोलाव तहसील अराई में स्थित है



अधिकारी
अराई (अजमेर)